16

(8)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 2582—2584

Dated 06-12-2003

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सड़क विकास मंडल)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 421.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ज्येष्ठ निजी सचिव, समूह ''ख'' (राजपत्रित) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण रिजर्व इंजीनियर्स बल (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हरता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

4. 1. पद का नाम	: ज्येष्ठ निजी सचिव
2. पदों की संख्या	: 1* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण सिविल सेवा, समूह ''ख'' राजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	: 7500-250-12,000 रु०
5. चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	: चयन

6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	: प्रोन्नति द्वारा
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	: **प्रोन्नति** :—ऐसे निजी सचिव जिसने 6500-200-10500 रु. के वेतनमान उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से/दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना:	**पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :** 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल —अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क महानिदेशालय —सदस्य 3. निदेशक, सीमा सड़क विकास मंडल —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. सी.स.वि.मं. 01/73/2001-जी.ई.-I]

एस. के. यागनिक, निदेशक

(Border Roads Development Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2003

G.S.R. 421.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary of Group 'B' (Gazetted) in the Border Roads Organisation in the Ministry of Road Transport and Highways, namely :—

1. **Short title and commencement** .—(1) These rules may be called the General Reserve Engineer Force (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

15

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of post	: Senior Private Secretary
2. Number of post	: 1* (2003) *Subject to variation dependent on work load.
3. Classification	: General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 7500-250-12000
5. Whether Selection or non-selection post	: Selection
6. Age limit for direct recruits	: Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
8. Educational and other qualifications preseribed for direct recruits	: Not applicable
9. Whether age and educational qualifi-cations prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10. Period of probation, if any	: Not applicable
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the post to be filled by various methods	: Promotion
12. In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	: **Promotion :** Private Secretary in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 with three years regular service in the grade.

	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. :	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion : 1. Secretary, Border Roads Development Board —Chairman 2. Deputy Diector General (Personnel) Directorate General Border Roads —Member 3. Director, Border Roads Development Board —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. BRDB/01/73/2003/GE-I]

S. K. YAGNIK , Director

MGIPRRND—3597 RT&H/2003—100